मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में

विविध. याचिका क्रमांक 2120/ 1989

याचिकाकर्ता:

मेसर्स उत्कल हाइड्रोकार्बन्स, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म, द्वारा– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

पता: 16, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई, म.प्र.

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा– उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के माध्यम से।

2. संयुक्त निदेशक, उद्योग, दुर्ग।

3. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्य (रसायन) केंद्रीय विपणन संगठन, 12, मिशन रोड, कोलकाता के माध्यम से।

4. भिलाई इस्पात सयंत्र, अधीक्षक (विपणन), इस्पात भवन, भिलाई, जिला दुर्ग के माध्यम से।

5. मेसर्स भिलाई टार प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, भिलाई।

6. मेसर्स हिंदुस्तान केमिकल्स एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

7. मेसर्स गोलछा केमिकल्स, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

8. मेसर्स कुसुम केमिकल्स प्रा. लि., लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

9. मेसर्स अजय केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया, भनपुरी, रायपुर।

10. मेसर्स एम.पी. टार प्रोडक्ट्स, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

प्रतिवादीगण:

11. नागरिक केमिकल्स एंड टार प्रोडक्ट्स, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

12. गुलाटी उद्योग, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

13. इंडियन पेट्रोकोल प्रोडक्ट्स, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई।

14. पोरवाल केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र, भनपुरी, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत याचिका का विषय।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खंडपीठ)

पीठ (Coram):

माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश

एवं माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका सं. 2120 / 1989

रिट याचिका सं. 3053 / 1992

रिट याचिका सं. 2406 / 2001

रिट याचिका सं. 742 / 2002

रिट याचिका सं. 894 / 2002

एवं

रिट याचिका सं. 3185 / 2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ आदेश

हस्ताक्षरित –

मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति द्वारा –

हस्ताक्षरित – वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

आदेश हेतु निर्धारित तिथि: 14/07/2005

हस्ताक्षरित – मुख्य न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खंडपीठ)

पीठ:

माननीय श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश

एवं माननीय श्री वी. के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्रमांक 2120 / 1989

मेसर्सउत्कल हाइड्रोकार्बन्स, भिलाई

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2403 / 1989

मेसर्सरेसीनेट केमिकल कंपनी एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3053 / 1992

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 2406 / 2001

इंडियन पेट्रोकोल प्रोडक्ट्स एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 742 / 2002

मेसर्सएस. एस. उद्योग

बनाम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 894 / 2002

यश चोपड़ा

बनाम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

एवं

रिट याचिका क्रमांक 3185 / 2003

पवन मंत्री

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

श्री रोहित आर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री आर.आर. सिन्हा, याचिकाकर्ता की ओर से — रिट याचिका क्रमांक 2120/1989।

श्री राजीव श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता की ओर से — रिट याचिका क्रमांक 2403/1989।

श्रीमती मीना शास्त्री, याचिकाकर्ता की ओर से — रिट याचिका क्रमांक 3053/1992।

श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अमित वर्मा , याचिकाकर्ताओं की ओर से — रिट याचिका क्रमांक 2406/2001।

श्री किशोर भादुड़ी, याचिकाकर्ताओं की ओर से — रिट याचिका क्रमांक 742/2002 एवं 3185/2003।

श्री सत्यवान अग्रवाल, याचिकाकर्ता की ओर से — रिट याचिका क्रमांक 894/2002।

श्री एस.सी. वर्मा, हस्तक्षेपकर्ता / कुसुम केमिकल्स (प्रा.) लि. की ओर से।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उपमहाधिवक्ता सह श्री सोमेश बजाज, उप सरकारी अधिवक्ता के साथसे —— छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से।

श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता —— भिलाई इस्पात सयंत्रकी ओर से।

श्री पी. द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता —— मेसर्स अजय केमिकल्स, इंडियन पेट्रो कोल प्रोडक्ट्स एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. की ओर से।

आदेश

(14 जुलाई, 2005 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री ए.के. पटनायक द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। यह याचिकाओं का समूह, भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों को विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल के रूप में आवंटन से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की गई तथा उन्हें इस साझा निर्णय एवं आदेश के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है।

---

(2)

संक्षेप में तथ्यों की स्थिति इस प्रकार है कि मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी एवं अन्य के द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462/1981 रिट याचिका उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में दायर की गयी थी, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो की मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत गठित राज्य से पूर्व थी।

इस परिवाद के साथ की भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों को विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल के रूप में मनमाने ढंग से वितरण किए जाने के संबंध में,

दिनांक 11/10/1984 के निर्णय एवं आदेश द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं के समुच्चय का निपटारा यह निर्देश देते हुए किया कि उद्योग निदेशक, मध्यप्रदेश, आदेश में वर्णित विचारों के आलोक में एक उपयुक्त और न्यायसंगत सूत्र विकसित करें और उक्त सूत्र के आधार पर 13 औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कच्चे माल का आवंटन करें।

---

(3)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 11/10/1984 के निर्णय और आदेश के अनुसार, विविध याचिका क्रमांक 462/1981 में पारित आदेश के तहत, मध्यप्रदेश शासन के उद्योग आयुक्त द्वारा दिनांक 30/11/1984 को एक चार-सदस्यीय समिति का गठन किया गया (जिसे आगे "प्रथम समिति" कहा गया है), जिसकी अध्यक्षता दुर्ग के अतिरिक्त उद्योग निदेशक ने की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 11/10/1984 के निर्णय और आदेश में वर्णित तथ्यों तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा के पश्चात, समिति ने अपनी रिपोर्ट केकण्डिका5.7 में यह अनुशंसा की कि तेरह औद्योगिक इकाइयों को निम्नानुसार न्यूनतम मात्रा में कच्चा माल वितरित किया जाए:

(a)रेसीनेट केमिकल – 20 मैट्रिक टन

(b) उत्कल हाइड्रोकार्बन्स – 12.5 मैट्रिक टन

(c) अन्य 11 औद्योगिक इकाइयाँ – 10 मैट्रिक टन

प्रथम समिति ने यह भी अनुशंसा की कि न्यूनतम मात्रा के वितरण के पश्चात शेष कच्चे माल का वितरण प्रत्येक इकाई की दिनांक 31/08/1982 को मूल्यांकित क्षमता के अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जाए, जैसा कि रिपोर्ट केकण्डिका5.4.1 में उल्लेखित है।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम समिति द्वारा तैयार किए गए सूत्र के आधार पर भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों को दिनांक 31/01/1986 के आदेश द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल के रूप में वितरित किया गया, जो कि फरवरी 1986 से प्रभाव में आया।

---

(4)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके पश्चात, दिनांक 12/08/1988 के आदेश द्वारा, मध्यप्रदेश शासन के उद्योग आयुक्त ने एक चार–सदस्यीय समिति (जिसे आगे "द्वितीय समिति" कहा गया है) का गठन किया, जिसका उद्देश्य मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज को रासायनिक उपोत्पादों के आवंटन संबंधी प्रकरण पर निर्णय लेना था। द्वितीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, उद्योग आयुक्त ने दिनांक 19/07/1988 को आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज को न्यूनतम 6 मैट्रिक टन प्रति माह की मात्रा आवंटित की गई...

आवंटन 8.5 मैट्रिक टन की आकलित अधिकतम क्षमता के आधार पर किया गया था, तथा न्यूनतम मात्रा के वितरण के पश्चात शेष सामग्री का वितरण किया गया।

---

(5)

इसके पश्चात, छत्तीसगढ़ केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यह तर्क देते हुए अधिकारियों के समक्ष निवेदन तर्क दियाकि भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ गई है, अतः कच्चे माल का पुनर्वितरण किया जाए।

इस निवेदन के आधार पर, मध्यप्रदेश शासन के उद्योग आयुक्त द्वारा दिनांक 12/08/1988 को एक अन्य चार–सदस्यीय समिति का गठन किया गया (जिसे आगे "तृतीय समिति" कहा गया है)। यह समिति औद्योगिक सलाहकार (रासायनिक), उद्योग संचालनालय, भोपाल की अध्यक्षता में गठित हुई, जिसका कार्य था भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों के वितरण हेतु मापदंड सुझाना, तथा पहले की प्रथम समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्वितरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समिति ने अपनी रिपोर्ट उपस्थित की और उसी के आधार पर मध्यप्रदेश शासन के उद्योग आयुक्त द्वारा दिनांक 23/02/1989 को आदेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों का पुनर्वितरण निम्नलिखित रूप में किया गया:

(A) मेसर्स रेसीनेट केमिकल्स — 75 मैट्रिक टन प्रति माह

(B) मेसर्स उत्कल हाइड्रोकार्बन्स — 46 मैट्रिक टन प्रति माह

(C) अन्य 11 इकाइयाँ — 34 मैट्रिक टन प्रति माह

मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज को पूर्व आदेश दिनांक 19/07/1988 के अनुसार ही आवंटन यथावत रखने का निर्देश दिया गया।

---

(6)

सुनवाई के दौरान, श्रीमती मीना शास्त्री, याचिकाकर्ता मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज की ओर से विविध याचिका क्रमांक 3053/1992 में उपस्थित हुईं। उन्होंने यह निवेदन किया कि

मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज ने पूर्व में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 2403/1988 दायर की थी, जिस पर दिनांक 20/02/1990 को खंडपीठ द्वारा आदेश पारित किया गया। उस आदेश में स्थगन आवेदन को अस्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को परिशिष्ट R/VIII में उल्लिखित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति जारी रखनी चाहिए।

उन्होंने यह भी इंगित किया कि उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 10/03/1992 की संप्रेषण (अनुलग्नक–P/30) के माध्यम से याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया कि दिनांक 20/02/1990 के आदेश के अनुरूप कच्चे माल का वितरण समायोजित कर दिया गया है। किंतु मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज को उसकी औद्योगिक इकाई की आवश्यकतानुसार कच्चा माल प्रदान नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज़ की इकाई के लिए वार्षिक कच्चे माल की आवश्यकता 116 मैट्रिक टन थी, किंतु तत्पश्चात उसकी क्षमता बढ़ा दी गई और अब इकाई की आवश्यकता 220 मैट्रिक टन प्रति वर्ष हो गई है।

उन्होंने यह तर्क दिया है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13/08/1990 को उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन को भेजे गए पत्र में, मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज़ की संशोधित क्षमता के अनुसार 220 मैट्रिक टन प्रति वर्ष कच्चे माल के उच्च आवंटन की अनुशंसा की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दियागया कि उक्त संशोधित क्षमता के आधार पर मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज़ की मासिक आवश्यकता लगभग 18 मैट्रिक टन बनती है, परंतु उसे केवल 6 मैट्रिक टन प्रति माह ही आवंटित किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में ओमप्रकाश एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य व अन्य में AIR 1981 SC 1001 में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि कच्चे माल का वितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

----

(7)

श्री राजीव श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, जो रिट याचिका क्रमांक 2403/1989 में याचिकाकर्ता मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी एवं अन्य की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क दिया कि जबकि याचिकाकर्ताओं की औद्योगिक इकाई मध्यम उद्योग है, शेष सभी औद्योगिक इकाइयाँ लघु श्रेणी की इकाइयाँ हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रथम समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी की स्थापित वार्षिक क्षमता सबसे अधिक है और इसी कारण प्रथम समिति ने यह अनुशंसा की कि मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी को 20 मैट्रिक टन न्यूनतम मासिक मात्रा प्रदान की जाए, उत्कल हाइड्रोकार्बन्स को 12.5 मैट्रिक टन और शेष सभी इकाइयों को 10 मैट्रिक टन प्रति माह दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, वितरण की शेष मात्रा को दिनांक 31/08/1982 को स्थापित क्षमता के अनुपात में वितरित करने की अनुशंसा की गई थी, जैसा कि रिपोर्ट की कण्डिका 5.4.1 में उल्लिखित है।

उन्होंने यह भी तर्क तर्क दिया है कि प्रथम समिति द्वारा सुझाया गया यह सूत्र उचित एवं न्यायसंगत था, जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए

तैयार किया गया था और यह सूत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462/1982 में दिनांक 11/10/1984 को पारित आदेश के अनुरूप था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि द्वितीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रथम समिति द्वारा सुझाए गए समान वितरण मानदंडों की अनुशंसा की थी।

किन्तु दुर्भाग्यवश, दिनांक 23/02/1989 को अनुलग्नक–D/7 के माध्यम से पारित आदेश द्वारा उद्योग आयुक्त ने मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी के लिए मासिक कोटा 75 मैट्रिक टन निर्धारित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उस माह में जिस माह में भिलाई इस्पात सयंत्रसे अधिक कच्चा माल उपलब्ध था, उस माह में याचिकाकर्ता को उनकी इकाई की मूल्यांकित क्षमता के अनुसार प्रो–राटा आधार पर कोई अतिरिक्त सामग्री प्राप्त नहीं हुई, जैसा कि दिनांक 31/08/1982 के अनुसार रिपोर्ट के कण्डिका 5.4.1 में वर्णित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उन्होंने यह तर्क तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23/02/1989 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

अपने इस तर्क के समर्थन में श्री श्रीवास्तव ने श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 SC 597 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय का उल्लेख किया गया जिसमें यह कहा गया कि जब कोई प्रशासनिक अथवा अर्ध–न्यायिक जाँच की जाती है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाना आवश्यक है, जिससे निष्पक्ष निर्णय तक पहुँचा जा सके।

उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि उद्योग आयुक्त को प्रथम समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में किए गए कच्चे माल के वितरण की पुनर्विलोकन करने का कोई अधिकार नहीं था, और इस आधार पर भी दिनांक 23/02/1989 का आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

–––

(8)

श्री रोहित आर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर.आर. सिन्हा के साथ , याचिकाकर्ता मेसर्स उत्कल हाइड्रोकार्बन्स की ओर से रिट याचिका क्रमांक 2120 / 1989 में उपस्थित हुए और उन्होंने यह तर्क दिया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1982 में पारित दिनांक 11/10/1984 के निर्णय के कण्डिका22 और 23 से यह स्पष्ट होता है कि एक उचित सूत्र स्थापित किया गया था, जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापित क्षमता के आधार पर था।

उक्त निर्णय एवं आदेश के अनुसार, प्रथम समिति ने याचिकाकर्ता की मूल्यांकित क्षमता को ध्यान में रखते हुए 12.5 मैट्रिक टन प्रति माह कच्चे माल का न्यूनतम आवंटन अनुशंसित किया था, और यह भी अनुशंसा की थी कि शेष सामग्री का वितरण 31/08/1982 की मूल्यांकित क्षमता के अनुसार प्रो–राटा आधार पर किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने यह भी तर्क दियाकि तृतीय समिति ने भी प्रथम समिति द्वारा अनुशंसित उपर्युक्त मानदंडों का समर्थन किया था।

परंतु आक्षेपित आदेश दिनांक 23/02/1989 द्वारा उद्योग आयुक्त ने प्रथम समिति एवं तृतीय समिति की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए मेसर्सउत्कल हाइड्रोकार्बन्स के लिए कच्चे माल का मासिक कोटा 46 मैट्रिक टन निर्धारित कर दिया।

श्री आर्य एवं श्री सिन्हा ने यह तर्क दिया है कि जब पूर्व आवंटन प्रथम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था तथा प्रथम समिति का गठन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1982 में दिनांक 11/10/1984 को पारित निर्णय और आदेश के निर्देशों के अनुपालन में किया गया था। अतः पूर्व में जो आवंटन किया गया था, उसे उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता था।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23/02/1989 यह मानकर पारित किया गया कि भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों का उत्पादन 500 मैट्रिक टन प्रति माह तक बढ़ चुका है और यह 600 मैट्रिक टन तक और बढ़ सकता है।

किन्तु वास्तविकता में भिलाई इस्पात सयंत्रका उत्पादन इससे कहीं कम है और 500 मैट्रिक टन प्रति माह से ऊपर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अतः यह आक्षेपित आदेश तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है और निरस्त किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने 27/04/1989 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक (विपणन) द्वारा दायर शपथ–पत्र और उत्पादन तथा आपूर्ति चार्ट की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जो भिलाई इस्पात सयंत्रकी ओर से तर्क दियागया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9)

श्री किशोर भादुड़ी, रिट याचिका क्रमांक 742 / 2002 में याचिकाकर्ता मेसर्स एस.एस. उद्योग एवं रिट याचिका क्रमांक 3185 / 2003 में याचिकाकर्ता श्री पवन मंत्री की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दियाकि याचिकाकर्ता मेसर्स एस.एस. उद्योग भिलाई स्थित एक औद्योगिक इकाई है, जिसे कच्चे माल के रूप में भारी बेंज़ोल (H.B.) की आवश्यकता है, जो कि भिलाई इस्पात सयंत्रका एक उपोत्पाद है।

न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2637 / 2001 में दिनांक 15/01/2002 को पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के निवेदन पर विचार करते हुए भिलाई इस्पात सयंत्रने याचिकाकर्ता को कच्चा माल आवंटित किया और ₹38,569/– अग्रिम भुगतान के रूप में प्राप्त किया गया।

किन्तु दिनांक 05/04/2002 को भेजे गए पत्र द्वारा, जो कि अनुलग्नक–P/12 के रूप में रिट याचिका में संलग्न है, यह सूचित किया गया कि उक्त राशि लौटा दी जा रही है और यह संभव नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को कच्चा माल दिया जा सके।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता एक नई औद्योगिक इकाई है और उन तेरह औद्योगिक इकाइयों में से एक नहीं है, जिन्हें भिलाई इस्पात सयंत्रसे कच्चा माल आवंटित किया गया था, उसे कच्चा माल से वंचित नहीं किया जा सकता हैं ।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में दिनांक 11/10/1984 को पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को कच्चा माल न देना संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ता ने नई इकाई स्थापित करते समय यह वचन दिया है कि वह (याचिकाकर्ता) कच्चे माल का कोई दावा नहीं करेगा, ऐसा कोई भी कथन या प्रतिबद्धता याचिकाकर्ता को कच्चे माल के आवंटन से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता है ।

---

(10)

श्री सत्यवान अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, रिट याचिका क्रमांक 894 / 2002 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने यह तर्क दियाकि याचिकाकर्ता ने भी एक नई लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाई मेसर्स कुशल केमिकल्स की स्थापना की है और भिलाई इस्पात सयंत्रसे कच्चे माल के आवंटन हेतु आवेदन किया था।

किन्तु दिनांक 14/02/2002 की संप्रेषण के माध्यम से भिलाई इस्पात सयंत्रने कच्चा माल प्रदान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त संप्रेषण, जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति अस्वीकार की गई है, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(छ) एवं 21 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

11) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, राज्य छत्तीसगढ़ की ओर से, उत्तरवादीगण 1 और 2 की ओर से दायर उत्तर पर भरोसा करते हुए, निवेदन किया कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462/1981 में दिनांक 11/10/1984 के आदेश के अनुच्छेद 22 और 23 के अनुसार प्रथम समिति गठित की गई, जिसने विचार–विमर्श उपरांत अपनी रिपोर्ट उपस्थित की और उक्त रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के आधार पर दिनांक 31/01/1986 को औद्योगिक इकाइयों को आवंटन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके पश्चात छत्तीसगढ़ केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक अभ्यावेदन तर्क दियाजिसमें निवेदन किया गया कि औद्योगिक इकाइयों का कोटा कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाए, तथा यह भी निवेदन किया कि किसी भी नई इकाई का पंजीकरण नहीं किया जाए और मौजूदा इकाइयों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाए।

उन्होंने यह भी निवेदन किया कि एसोसिएशन द्वारा उपस्थित अभ्यावेदनों को दृष्टिगत रखते हुए और यह तथ्य कि उस समय भिलाई इस्पात सयंत्रमें उपलब्ध कच्चे माल की मात्रा लगभग 300 मैट्रिक टन प्रति माह से बढ़ाकर 500 मैट्रिक टन प्रति माह कर दी गई थी, के आधार पर उद्योग आयुक्त ने एक तीसरी समिति गठित की, ताकि मौजूदा इकाइयों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। तीसरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त ने दिनांक 23/02/1989 को आदेश पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उक्त आदेश नवीन

औद्योगिक नीति, जो अक्टूबर 1988 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित की गई थी, के आलोक में पारित किया गया है।

उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि दिनांक 23/02/1989 के उक्त आदेश के अंतर्गत किए गए संशोधित आवंटन, भिलाई इस्पात सयंत्रमें उपलब्ध उप–उत्पादों की वास्तविक उपलब्धता पर आधारित हैं, और यह इस बात की गारंटी दी जाती है कि उप–उत्पादों की कुल मात्रा न्यूनतम 34 मैट्रिक टन होगी, क्योंकि किसी भी प्रयोजन अथवा स्वीकृति के लिए न्यूनतम 30 मैट्रिक टन की मात्रा अपेक्षित है।"

प्रति माह 30 मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है ताकि वह औद्योगिक इकाई आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक मानी जा सके। उन्होंने आगे यह तर्क दियाकि भिलाई इस्पात सयंत्रद्वारा उत्पादित सीमित कच्चे माल में से नई औद्योगिक इकाइयों को कोई आवंटन नहीं किया जा सकता और ऐसी नई इकाइयों से शपथ पत्र लिए गए हैं कि वे भिलाई इस्पात सयंत्रसे कोई भी कच्चा माल प्राप्त करने का दावा नहीं करेंगी। उन्होंने यह तर्क दिया कि चूंकि भिलाई इस्पात सयंत्रके उप–उत्पादों के रूप में उपलब्ध कच्चे माल की कमी है, अतः नई औद्योगिक इकाइयों को कोई आवंटन करना, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11)

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित उपरोक्त तर्कों के प्रत्युत्तर में, श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने उत्तर वादीगण क्रमांक 1 और 2 की ओर से उपस्थित उत्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में पारित निर्णय दिनांक 11/10/1984 केकण्डिका22 और 23 के निर्देशों के अनुसार प्रथम समिति का गठन किया गया था।

समिति ने सम्यक विचार के पश्चात् अपनी रिपोर्ट उपस्थित की, और दिनांक 31/01/1986 के आदेश के माध्यम से उसकी सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों को आवंटन किया गया।

तत्पश्चात, छत्तीसगढ़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने यह निव

यह संशोधित आवंटन आदेश दिनांक 23/02/1989 भिलाई इस्पात सयंत्रमें उपोत्पादों की वास्तविक उपलब्धता तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा दी गई गारंटी पर आधारित था कि प्रत्येक इकाई को 30 मैट्रिक टन प्रति माह की न्यूनतम मात्रा आवश्यक है, क्योंकि 30 मैट्रिक टन प्रति माह किसी भी आर्थिक रूप से सक्षम औद्योगिक इकाई के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक मात्रा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने यह भी तर्क दियाकि भिलाई इस्पात सयंत्रद्वारा उत्पादित सीमित कच्चे माल की परिस्थितियों में नई औद्योगिक इकाइयों को आवंटन नहीं किया जा सकता, और ऐसी इकाइयों से शपथ–पत्र लिए गए थे कि वे भिलाई इस्पात सयंत्रसे कच्चा माल प्राप्त करने का कोई दावा नहीं करेंगी।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों के कच्चे माल की कमी को देखते हुए, यदि इस कमी में से नई औद्योगिक इकाइयों को आवंटन किया जाता है, तो इससे पूर्व से स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

---

(12)

श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विवेक रंजन तिवारी के साथ से भिलाई इस्पात सयंत्रकी ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने यह तर्क दियाकि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में पारित दिनांक 11/10/1984 के निर्णय

केकण्डिका22 में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध कच्चा माल उचित फार्मूले के अनुसार आवंटित किया जाना चाहिए।

उन्होंने रिट याचिका क्रमांक 2120 / 1989 में दायर भिलाई इस्पात सयंत्रकी वापसी रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न चार्ट का उल्लेख किया, जिसमें भारी बेंज़ोल तेल (HBO), ड्रेन्ड नेफ्थलीन ऑयल (DNO), और डी–फेनोलाइज्ड ऑयल (DPO) जैसे उपोत्पादों का उत्पादन वर्ष 1984–85 से 2004–05 तक दर्शाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस चार्ट से यह स्पष्ट है कि कच्चे माल की उपलब्धता 500 मैट्रिक टन प्रति माह से कहीं कम रही है और इस कारण भिलाई इस्पात सयंत्रप्रत्येक औद्योगिक इकाई को 500 मैट्रिक टन प्रति माह की आपूर्ति नहीं कर सकता है , जैसा कि दिनांक 23/02/1989 के आदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन के उद्योग आयुक्त ने निर्देशित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

(13) श्री पी. दीवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री संजय के. अग्रवाल के उत्तरवादीगण 15 एवं 16 की ओर से रिट याचिका क्रमांक 2403 / 1989 में तथा उत्तरवादीगण 9 एवं 13 की ओर से रिट याचिका क्रमांक 2120 / 1989 में उपस्थित हुए।

उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रथम समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 30 मैट्रिक टन प्रति माह की न्यूनतम मात्रा किसी औद्योगिक इकाई के संचालन हेतु आवश्यक है, परंतु कुछ इकाइयों को 30 मैट्रिक टन नहीं दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि जब भिलाई इस्पात सयंत्रमें उपोत्पादों का उत्पादन बढ़ा और अधिक कच्चा माल उपलब्ध हुआ, तब छत्तीसगढ़ केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने प्राधिकृत अधिकारियों से आवंटन की पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया।

फलस्वरूप, तृतीय समिति द्वारा प्रकरण का पुनर्विलोकन किया गया तथा दिनांक 23/02/1989 को एक नया आदेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उपोत्पादों का पुनर्वितरण इस प्रकार से किया गया जिससे प्रत्येक औद्योगिक इकाई को 30 मैट्रिक टन की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त आदेश दिनांक 23/02/1989 द्वारा मेसर्स रेसीनेट केमिकल्स को उन्होंने यह भी तर्क दियाकि उक्त आदेश दिनांक 23/02/1989 द्वारा मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी, जिसे पूर्व में दिनांक 31/01/1986 के आदेश के तहत 20 मैट्रिक टन कच्चा माल प्राप्त होता था, को 75 मैट्रिक टन प्रति माह का आवंटन किया गया।

इसी प्रकार, मेसर्स उत्कल हाइड्रोकार्बन्स, जिसे पूर्व में 12.5 मैट्रिक टन प्रति माह प्राप्त होता था, को अब 48 मैट्रिक टन प्रति माह का आवंटन किया गया। इस प्रकार, मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी एवं मेसर्सउत्कल हाइड्रोकार्बन्स को पूर्व की तुलना में कहीं अधिक कच्चा माल प्राप्त हुआ है और उन्हें आदेश दिनांक 23/02/1989 के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने यह भी तर्क तर्क दिया कि मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज की स्थापित स्वीकृत क्षमता 8.5 मैट्रिक टन प्रति माह है, जो कि वार्षिक रूप से 102 मैट्रिक टन होती है। उन्हें आदेश दिनांक 23/02/1989 के अंतर्गत 102 मैट्रिक टन प्रति वर्ष का ही आवंटन किया गया है, जबकि अन्य औद्योगिक इकाइयों को उनकी क्षमता से कम मात्रा में आवंटन प्राप्त हुआ।

अतः यह कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें आदेश दिनांक 23/02/1989 मेंहस्तक्षेप कर्ताओंकरना न्यायालय के लिए उचित होगा।

(14)

श्री एस.सी. वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, जो रिट याचिका क्रमांक 3053 / 1992 में हस्तक्षेप कर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क दियाकि मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज के पक्ष में आदेश

दिनांक 19/07/1988 से अधिक कोई भी अतिरिक्त आवंटन, अन्यहस्तक्षेप कर्ताओं को आवंटित कच्चे माल की मात्रा को घटा देगा।

इसलिए न्यायालय को इस संबंध में कोई निर्देश नहीं देना चाहिए जिससे मेसर्स दीप इंडस्ट्रीज को अतिरिक्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो।

---

(15)

विभिन्न पक्षों की ओर से उपस्थित उपरोक्त तर्को पर विचार करते हुए, न्यायालय के समक्ष इस याचिकाओं के समुच्चय में निर्णय हेतु जो प्रारंभिक प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि — क्या उद्योग आयुक्त को यह अधिकार था कि वह दिनांक 31/01/1986 के पूर्व आदेश के अंतर्गत प्रथम समिति की रिपोर्ट के अनुसार किए गए कच्चे माल के पूर्व आवंटन की पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण कर सके?

यह प्रश्न विशेष रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में पारित दिनांक 11/10/1984 के निर्णय और आदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होता है।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल का आवंटन केवल एक प्रशासनिक आदेश होता है, और प्रशासनिक प्राधिकारी को ऐसा अधिकार होता है कि वह ऐसे आदेश की पुनर्विलोकन और संशोधन कर सके, जब तक कि ऐसा करने से कोई वैधानिक रोक न हो।

हमारे समक्ष ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान उपस्थित नहीं किया गया है जो कच्चे माल के वितरण से संबंधित प्रशासनिक आदेश की पुनर्विलोकन को प्रतिबंधित करता हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में दिनांक 11/10/1984 को पारित निर्णय और आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि...निर्देश दिया गया था कि उद्योग निदेशक एक उचित सूत्र विकसित करें और उपलब्ध कच्चे माल का आवंटन, उक्त निर्णय में हुई चर्चाओं के आलोक में, संबंधित औद्योगिक इकाइयों को करें।

निर्णय के कण्डिका 23 में उल्लिखित सुसंगत अंश इस प्रकार उद्धृत है:

"अतः यह निर्देशित किया जाता है कि उद्योग निदेशक, ऊपर की चर्चा के प्रकाश में, एक उचित सूत्र निर्धारित करेंगे और उपलब्ध कच्चे माल का आवंटन उस सूत्र के आधार पर संबंधित उद्योगों को करेंगे। साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि यदि संभव हो, तो उत्तरवादी क्रमांक 3 यह सुनिश्चित करें कि कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि सभी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताएँ यथासंभव पूरी की जा सकें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त निर्णय एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में दिनांक 11/10/1984 को पारित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि आवंटन उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर और एक उचित सूत्र के अनुसार संबंधित औद्योगिक इकाइयों को किया जाना था।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि यदि संभव हो, तो कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे सभी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

अतः, जब छत्तीसगढ़ केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा यह ध्यान आकर्षित कराया गया कि भिलाई इस्पात सयंत्रमें कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि हुई है और अधिक कच्चा माल उपलब्ध हो गया है, तो उद्योग आयुक्त को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दिनांक 31/01/1986 के पूर्ववर्ती आदेश के तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को किए गए आवंटन की पुनर्विलोकन कर सके और कच्चे माल का पुनर्वितरण कर सके।

निर्णय और आदेश दिनांक 11/10/1984 में ऐसा कोई निर्देश नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकले कि औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल वितरित करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य थी।

दूसरी ओर, उक्त निर्णय एवं आदेश की भावना यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि जब–जब कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि होगी, तब–तब सभी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा किया जाना चाहिए।

श्री राजीव श्रीवास्तव, रिट याचिका क्रमांक 2403 / 1989 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता तथा श्री रोहित आर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनके साथश्री आर.आर. सिन्हा ने की, रिट याचिका क्रमांक 2120 / 1989 में याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हुए, उन्होंने यह तर्क दिया कि उद्योग आयुक्त को पूर्व में दिनांक 31/01/1986 को किए गए कच्चे माल के आवंटनों की पुनर्विलोकन कर पुनर्वितरण करना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----

(16)

अब जो अगला प्रश्न इस खंड पीठ के समक्ष निर्णय हेतु उत्पन्न होता है, वह यह है कि — क्या वास्तव में भिलाई इस्पात सयंत्रमें कच्चे माल के उत्पादन में कोई वृधि हुई थी, जिससे पुनर्वितरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई?

उद्योग आयुक्त द्वारा दिनांक 23/02/1989 को पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि पूर्ववर्ती क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भिलाई इस्पात सयंत्रमें उपोत्पादों का उत्पादन 350 मैट्रिक टन प्रति माह था, किंतु वर्तमान में उत्पादन 500 मैट्रिक टन प्रति माह तक बढ़ चुका है, और यह अपेक्षित है कि एक वर्ष के भीतर यह 600 मैट्रिक टन प्रति माह तक पहुंच सकता है।श्री एस.एस. परिदा, उप प्रबंधक (विपणन एवं रणनीतिक योजना),

भिलाई इस्पात सयंत्रद्वारा दायर शपथ–पत्र के साथ वर्ष 1984–85 से अप्रैल–सितंबर 2004 तक के उपोत्पादों (HBO, DNO, DPO) के वार्षिक उत्पादन का चार्ट तर्क दियागया है।

उपस्थित चार्ट में प्रदर्शित वार्षिक उत्पादन को 12 से विभाजित करके मासिक औसत उत्पादन निकाला गया है, जो नीचे तालिका में उल्लेखित है:

––

भिलाई इस्पात सयंत्र: उपोत्पादों का वार्षिक एवं मासिक उत्पादन तालिका –

वर्ष	वार्षिक उत्पादन (टन में)	मासिक औसत उत्पादन (टन में)
1984–85	3440	286.66
1985–86	3831	319.25
1986–87	3712	309.33
1987–88	3670	305.83
1988–89	5522	460.16
1989–90	6180	515.00
1990–91	6594	549.50
1991–92	6102	508.50
1992–93	4936	411.33
1993–94	6102	508.50
1994–95	4905	408.75
1995–96	4551	379.25
1996–97	5184	432.00
1997–98	5906	492.16
1998–99	4945	412.08
1999–2000	5306	442.16

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2000–2001	4941	411.75
2001–2002	4863	405.24
2002–2003	4111	342.58
2003–2004	4906	408.83
Apr–04 — Sep–04	1590	265.00

स्पष्टीकरण:

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1985–86 में भिलाई इस्पात सयंत्र में उपोत्पादों का औसतन 319 मैट्रिक टन प्रति माह उत्पादन हुआ था, और वर्ष 1986–87 में उक्त उत्पादन में कमी आई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और वर्ष 1987–88 में उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 1988–89 में लगभग 460 मैट्रिक टन प्रति माह तक पहुंच गया। किन्तु वर्ष 1989–90 में उत्पादन पुनः घट गया, और उसके पश्चात् वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में यह बढ़कर क्रमशः 491 मैट्रिक टन एवं 512 मैट्रिक टन प्रति माह तक पहुंचा।

किन्तु, तत्पश्चात् वर्षों में उत्पादन में पुनः गिरावट देखने को मिली।

अतः, उद्योग आयुक्त द्वारा दिनांक 23/02/1989 को पारित आदेश में यह जो अनुमान लगाया गया कि कच्चे माल की उपलब्धता 500 मैट्रिक टन तक बढ़ गई है और यह 600 मैट्रिक टन प्रति माह तक बढ़ सकती है, तथ्यों पर आधारित नहीं था।

हालांकि कुछ वर्षों में उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन वह वृद्धि निरंतर नहीं रही है। अतः उक्त आदेश एक त्रुटिपूर्ण अनुमान पर आधारित था कि कच्चे माल की उपलब्धता 500 मैट्रिक टन हो गई है तथा वह 600 मैट्रिक टन तक बढ़ सकती है —— और इस आधार पर पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

हालाँकि, यह तथ्य बना रहता है कि भिलाई इस्पात सयंत्रमें कच्चे माल के उत्पादन में 31/01/1986 के आदेश के बाद कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, जिसके तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल आवंटित किया गया था।

हमने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462 / 1981 में 11/10/1984 को पारित निर्णय और आदेश में यह पाया है कि यदि कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो सभी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त निर्णय एवं आदेश में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल का आवंटन उचित सूत्र के आधार पर किया जाना चाहिए और यह सूत्र निर्णय में की गई चर्चाओं एवं टिप्पणियों के प्रकाश / आधार में तैयार किया जाना चाहिए।

उक्त निर्णय केकण्डिका22 में की गई चर्चाएं एवं टिप्पणियाँ निम्नानुसार उद्धृत की गई हैं:

"इस विषय में विचार करते हुए, वास्तविक प्रश्न यह है कि इस याचिका में यह देखा जाए कि कच्चे माल की आपूर्ति हेतु एक उचित सूत्र किस प्रकार विकसित किया जाए ताकि सभी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब नई औद्योगिक इकाइयों को क्षेत्र में अनुमति दी गई थी, उस समय यह नहीं सोचा गया कि उपलब्ध कच्चा माल सभी इकाइयों के लिए संचालन हेतु पर्याप्त नहीं हो सकता है।

यदि यह बात ध्यान में रखी गई होती, तो संभवतः इतनी अधिक औद्योगिक इकाइयाँ कच्चे माल के लिए दावा नहीं कर रही होतीं। इस दृष्टिकोण में, आवश्यक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है।

यह स्पष्ट है कि न्यायालय स्वयं कोई उचित सूत्र निर्धारित नहीं कर सकता है, किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं, जिन्हें यदि सूत्र निर्धारण में लागू किया जाए, तो वे कच्चे माल के वितरण हेतु एक तार्किक, न्यायसंगत एवं समतुल्य सूत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बात उभरती है वह यह है कि — किसी उद्योग की स्थापित क्षमता को प्राथमिकता से विचार में लिया जाना चाहिए, ताकि वह प्रतिवर्ष उपलब्ध कच्चे माल का अधिकतम उपयोग कर सके।

यह सर्वविदित है कि सभी उद्योगों को उनकी पूर्ण स्थापित क्षमता के अनुरूप कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो सकता। अतः आवश्यकता से कम मात्रा में कच्चा माल वितरित किया जाना होगा, और ऐसे में एक उचित सूत्र पर पहुँचने के लिए श्रमिकों के हित तथा उद्योग की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा।

इस परिप्रेक्ष्य में यह उचित होगा कि उद्योग निदेशक एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, जो निम्नलिखित तथ्यों की परिक्षण करे:

प्रत्येक औद्योगिक इकाई की स्थापित उत्पादन क्षमता

उसमें नियोजित श्रमिकों की संख्या

उसे एक आर्थिक इकाई के रूप में चलाने हेतु आवश्यक कच्चे माल की मात्रा

इन तथ्यों के आधार पर प्रत्येक उद्योग को उसकी आवश्यकता के अनुसार कच्चे माल का आनुपातिक वितरण किया जा सके।

इस दृष्टिकोण से यह भी कहा जा सकता है कि किसे अधिक या कम आवंटन हुआ यह अधिक सुसंगत नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक इकाई को आवंटित कच्चा माल उत्पादन में ही उपयोग किया जाए और वह व्यर्थ या अन्य प्रयोजन में व्यय न हो।

ऐसे वितरण को उद्योग निदेशक द्वारा उचित विधि से सुनिश्चित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय द्वारा कंडिका 22 में की गई चर्चाओं एवं टिप्पणियों के पठन से यह स्पष्ट होता है कि, उचित सूत्र निर्धारण के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

(i) क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह संभव है कि कच्चा माल सभी इकाइयों को चलाने के लिए पर्याप्त न हो;

(ii) प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है जिससे वह उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग प्रभावी रूप से कर सके;

(iii) किसी विशेष इकाई को आर्थिक रूप से संचालित करने हेतु न्यूनतम आवश्यक कच्चे माल की मात्रा का आकलन एवं परीक्षण आवश्यक है;

(iv) प्रत्येक इकाई के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन, श्रम शक्ति एवं प्रबंधन क्षमता को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए;

(v) आवंटित कच्चे माल का प्रयोग केवल उत्पादन कार्य हेतु ही किया जाना चाहिए; उसे किसी अन्य प्रयोजन में व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए;

(vi) जब प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक मात्रा स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाए, तब उपलब्ध कच्चे माल का वितरण सभी संबंधित औद्योगिक इकाइयों के मध्य अनुपातिक रूप से किया जा सकता है।

अतः निर्णय दिनांक 11/10/1984 के आलोक में उक्त कारकों का मूल्यांकन एवं परीक्षण प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए जब औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल वितरित किया जाए, विशेषकर जब उत्पादन में वृद्धि हुई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18)

अगला प्रश्न यह है कि याचिकाकर्ता, जिनकी याचिकाएँ क्रमांक 742/2002, 3185/2003 एवं 894/2002 हैं, और जिन्होंने पूर्णतः नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की हैं, उन्हें क्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 462/1981 में पारित आदेशों के आलोक में कोई कच्चा माल आवंटित किए जाने का अधिकार है?

इस प्रश्न पर निर्णय के लिए, दिनांक 29/04/2005 को न्यायालय ने संबंधित औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या वर्ष 1986 से 2004 के बीच उन्हें भिलाई इस्पात सयंत्रके अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से कच्चा माल प्राप्त हुआ है। संबंधित पक्षों ने अपने शपथ–पत्र दाखिल किए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन उद्योगों के लिए कच्चे माल का एकमात्र स्रोत भिलाई इस्पात सयंत्रही है।

---

(19)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 11/10/1984 को पारित निर्णय एवं आदेश में यह देखा गया कि जब क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमोदन दिया गया, उस समय यह विचार नहीं किया गया था कि उपलब्ध कच्चा माल सभी उद्योगों के सुचारु एवं आर्थिक संचालन हेतु पर्याप्त होगा या नहीं।

यदि यह विचार पूर्व में किया गया होता, तो संभवतः इतनी बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ कच्चे माल के दावे लेकर विवाद में नहीं आतीं।

इसलिए, जब तक राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो जातीं, तब तक नई इकाइयों को कच्चा माल आवंटित करना, मौजूदा इकाइयों के लिए आवंटन को घटा देगा। परिणामस्वरूप, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो सकती हैं और संभवतः बंद भी हो सकती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और अंततः उन्हें बंद करना पड़ सकता है। इसी कारण, जब भी क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति प्रदान की जाती है, तो उनसे यह घोषणा ली जाती है कि वे कच्चे माल की कोई मांग नहीं करेंगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं को किसी व्यापार या व्यवसाय को संचालित करने का अधिकार दिया गया है, किन्तु यह अधिकार राज्य द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दुर्लभ कच्चा माल प्रदान करने के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है ।

याचिकाकर्ताओं के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार पर भी उस स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब प्राधिकरण द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों को दुर्लभ कच्चा माल आवंटित नहीं किया जाता है ।

याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का दावा कर रहे हैं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओमप्रकाश एवं अन्य बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एवं अन्य में यह अधिनिर्धारित किया गया दिया गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण (reasonable classification) अनुमेय है — और ऐसा वर्गीकरण तब तक वैध है जब तक कि वह मनमाना नहीं है तथा उसका संबंधित विषय से तार्किक संबंध है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में विशेष रूप से निम्नलिखित अवलोकन किया:

"हम यह भलीभाँति जानते हैं कि समानता का सिद्धांत गणितीय समानता नहीं है और यह व्यावहारिक असमानताओं की अनुमति देता है। किंतु आवश्यक यह है कि कोटा पाने वालों का चयन तार्किक रूप से उस उद्देश्य से जुड़ा हो जिसे राज्य की औद्योगिक नीति में प्राप्त करना चाहा गया है। यदि चयन या भेदभाव मनमाना है और उसमें कोई तार्किक आधार नहीं है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, वर्तमान उद्योगों तथा नवीन उद्योगों को कच्चे माल के अल्प संसाधन के आवंटन के उद्देश्य से पृथक दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भिलाई इस्पात सयंत्रसे कच्चे माल का आवंटन सबसे पहले वर्तमान उद्योगों को किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आर्थिक रूप से सक्षम ढंग से कार्य कर सकें और न्यूनतम मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण अंततः बंद न हो जाएं। इसके पश्चात्, केवल तब नवीन उद्योगों को कच्चा माल आवंटित किया जा सकता है जब तक कि वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं।

हमारा यह विचार है कि इस प्रकार का वर्गीकरण मनमाना नहीं बल्कि युक्तिसंगत होगा, जिसका तार्किक संबंध राज्य की औद्योगिक नीति के उस उद्देश्य से है, जो राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। निःसंदेह, राज्य की औद्योगिक नीति का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि वह नए उद्योगों को बढ़ावा देकर वर्तमान उद्योगों का विनाश कर दे, बल्कि वह वर्तमान उद्योगों की क्षति की कीमत पर नए उद्योगों को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बन

सकती। हमारा यह स्पष्ट मत है कि केवल तभी, जब वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी हो, तभी नए उद्योगों को कच्चा माल आवंटित किया जाना न्यायसंगत होगा।

(20)

इस रिट याचिकाओं के समूह में निर्णय हेतु उठाया गया अंतिम प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता को कच्चे माल के उत्पादन एवं उपलब्धता में वृद्धि के कारण पूर्व में दिनांक 31/01/1986 को जारी वितरण आदेश के पश्चात पुनः वितरण से पूर्व सुनवाई का अवसर प्राप्त है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ व अन्य, AIR 1978 SC 597 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि यह परीक्षण कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा या नहीं, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि निर्णय देने वाला प्राधिकारी अर्ध–न्यायिक कार्य कर रहा है या प्रशासनिक, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि क्या 'निष्पक्ष सुनवाई' अथवा जांच आवश्यक है। यदि हाँ, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने बहुमत का निर्णय देते हुए अभिनिर्धारित किया गया :

"क्या यह कहा जा सकता है कि 'निष्पक्ष कार्यवाही' की आवश्यकता एक प्रशासनिक जांच में अर्ध–न्यायिक जांच की तुलना में कम है? कभी–कभी प्रशासनिक जांच में एक अन्यायपूर्ण निर्णय के परिणाम अर्ध–न्यायिक निर्णय की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं, और इसलिए, प्राकृतिक न्याय के नियमों को प्रशासनिक जांच में भी समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, विशेषतः जब उससे नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हों।"

वर्तमान वाद में, 13/ तेरह औद्योगिक इकाइयों को दिनांक 31/01/1986 के आदेश द्वारा कच्चा माल आबंटित किया गया था तथा एक अन्य उद्योग को कच्चा माल दिनांक 19/07/1988 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया। इन आबंटनों में न्यूनतम मात्रा से अधिक चौदह औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल आबंटित किया गया, और न्यूनतम मात्रा के पश्चात शेष कच्चा माल उनके आंकलित क्षमता के अनुपात में वितरित किया गया।

यदि यह वितरण इस आधार पर बाधित किया जाना है कि कच्चे माल का उत्पादन एवं उपलब्धता अब बढ़ गई है, तो निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता है। अर्थात्, जिन औद्योगिक इकाइयों को पूर्व आदेशों द्वारा कच्चा माल आबंटित किया गया है, उन्हें फिर से वितरण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वास्तव में, दिनांक 31/01/1986 का पूर्व आबंटन आदेश प्रथम समिति की रिपोर्ट पर आधारित था और समिति ने तेरह औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों की सुनवाई की थी। अतः जिन औद्योगिक इकाइयों को पूर्व आबंटन आदेशों द्वारा कच्चा माल प्रदान किया गया है, उनके प्रतिनिधियों को पुनः वितरण आदेश पारित करने से पहले सुना जाना आवश्यक है।

यह तर्क दिया गया कि जब तक वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक नए उद्योगों को कच्चा माल आवंटित नहीं किया जा सकता।

(21) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, दिनांक 23/02/1989 को पारित वह आदेश, जिसके द्वारा उद्योग आयुक्त ने भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पादों के रूप में कच्चे माल का विभिन्न उद्योगों में पुनः वितरण किया था, उसे निरस्त किया जाता है। उद्योग आयुक्त को यह निर्देशित किया जाता है कि वह कच्चे माल की वास्तविक उपलब्धता एवं उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक युक्तिसंगत सूत्र तैयार करे और उसी के अनुसार उसका पुनः वितरण करे।

यह युक्तिसंगत सूत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/1984 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश (Misc. Petition No. 462 of 1981) और इस निर्णय में दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। साथ ही, उन औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को जिन्हें भिलाई इस्पात सयंत्रके उपोत्पाद कच्चे माल के रूप में चाहिए, उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा।

ये सभी निर्देश आज से तीन माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से पालन किए जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Translated by — ADV PRITI ROUT